ग्राम पंचायत, बावत, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, बावत, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री दुला राम हास्टा	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री पदम् शर्मा	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सुख राम	01.04.2015 से 04.08.2015
2.	श्री आशीष शर्मा	05.08.2015 से 09.11.2015
3.	श्री पदम् सिंह	10.11.2015 से 31.12.2016
4.	श्री लायक राम	01.01.2017 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, बावत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	1.49
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.52
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	36.75
4	**9**	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय	7.97

5	11(i)	निर्माण कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	87.06
6	11(ii)	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.33
7	11(iii)	प्राप्त अनुदान व् व्यय भुगतान में भारी अन्तर/अधिक व्यय भुगतान	15.20
8	12(i)	मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण/ प्रस्तुत न करना	20.60
9	13	बिना किसी प्रयोजन के राशि का आहरण, आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.72

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बावत, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **21.04.2018, तथा 01.05.18 से 05.05.2018** को ग्राम पंचायत बावत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	09/2015	03/2016
2016-17	10/2016	10/2016
2017-18	03/2018	05/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बावत, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या

जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2017-18-24 दिनांक **22.03.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, बावत से अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत बावत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत व अनुदान:- ग्राम पंचायत बावत के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 1 व 2** में दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	------	78195.00	78195.00	21196.00	56999.00
2016-17	56999.00	94067.00	151066.00	76916.25	74149.75
2017-18	74149.75	107308.00	181457.75	31059.90	150397.85

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है| अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

ii) अनुदान:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2015-16	1365534.24	5154452.00	6519986.24	4784681.00	1735305.24
2016-17	1735305.24	8129158.00	9864463.24	6096907.00	3767556.24
2017-18	3767556.24	4688009.00	8455565.24	4780330.00	3675235.24

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/15 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.18 को ₹1.49 लाख का अन्तरः-**

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का रख रखाव हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार नहीं किया गया था जबकि उक्त नियम के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है| जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार **₹1,49,147.80** का अन्तर है, अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**परिशिष्ट**
1.	स्व: स्त्रोत	150397.85	1
2.	अनुदान	3675235.24	2
3.	कुल शेष राशि	3825633.09	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	3974780.89	4
5.	कुल अन्तर	149147.80	5

31.03.218 को विभिन्न खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	**बैंक का नाम**	**बचत खाता नं**	**31.03.2018**
सामान्य निधि	HPSCB, Chopal	40510109346	297891.65
	HPSCB, Kupvi	46210101803	2684168.00
	HPSCB, Nerva	40510100036	33050.24
14th FC	HPSCB, Kupvi	46210101804	227441.00
	HDFC, Chopal	50100152891503	732230.00
		Total	**3974780.89**

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें

अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ वही एवं खाता वहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली नियमित न करना:-

ग्राम पंचायत को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए| यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत बावत द्वारा उनके पत्र **क्रमांक:GP/Bawat/-2018-19-3** दिनांक 05.05.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है;

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	30/-	**2013-14**
		30/-	2014-15
		40/-	2015-16
		40/-	2016-17
		40/-	2017-18
2	Shop Rent	------	---NA---
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	7 Revenue villages, but no receipt during audit period
4	Marriage Registration fees	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
		200/-**{BPL 25/-}**	Registration within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates
7	Any other receipt due		---NIL---

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

7 पंचायत राजस्व ₹0.52 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i). गृहकर की ₹52,120 की शेष वसूली:-

सचिव ग्राम पंचायत बावत द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/कुपवी/बावत/2018-19-3 दिनांक 21/04/2018 के सन्दर्भ में उनके पत्र **क्रमांक:GP/Bawat/2018-19-3** दिनांक 05/05/2018 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹52,120** वसूली योग्य शेष थी|

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
01.04.15	01.04.13 से 31.03.15 तक गृहकर की कुल देय राशि				16200/-
2015-16	290	40/-	11600/-	------	27800/-
2016-17	299	40/-	11960/-	------	39760/-
2017-18	309	40/-	12360/-	------	52120/-
			गृहकर की वसूली योग्य राशि		**52120/-**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान की ₹36.75 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹36,35,275** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.97 लाख के स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया की **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹796609 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओ अर्थात निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के

कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की प्रविष्टियां न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** में दिए गए विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था अतः उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में दी गई मदों की स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में प्रत्येक मद को नियमानुसार स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये|

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i). निर्माण कार्यो पर खर्च ₹87.06 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Bawat /2018-19-2 दिनांक 21/04/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत बावत द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/Bawat/2018-19-02 दिनांक 05.05.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च किये गए ₹**87,05,886** से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए की उपरोक्त सूची में दर्शाए गए **अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है, कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान के बारे में** अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए|

अनुदान	**भुगतान**	**विवरण**
GENERAL HEAD	7676676/-	क्रम संख्या 1 से 83 तक
MGNREGA	1029210/-	क्रम संख्या 1 से 25 तक
Total:-	**8705886/-**	

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.33 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया की निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **मु.33,053** का अधिक आहरण किया प्रतीत होता है, जिस बारे विभागीय स्तर पर जाँच करवाई जाए **तथा अधिक खरीद के ऐसे अन्य प्रकरणों की भी जाँच करके अधिक व्यय की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए** तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

निर्माण सामग्री का नाम	**सामग्री की क्रय की गई मात्रा/राशि**	**सामग्री की मूल्यांकित मात्रा**	**अधिक क्रय की गई मात्रा**	**क्रय दर**	**राशि का अधिक आहरण/ व्यय**
14th FC:-निर्माण पक्का रास्ता मसराह से बगड़ी MB-8129 पृष्ठ-8-9					
बजरी	9.73 cum	9.18 cum	0.55	2514/-	1383/-
14th FC:-चबूतरा महासू मन्दिर गाँवखर MB-8129 पृष्ठ-7-9					
सीमेंट	50 बैग्स	33 बैग्स	17 बैग	363/-	6171/-
रेत	8.21 cum	7.50 cum	0.71	3955/-	2808/-
14th FC:- निर्माण मेला मैदान बिओई MB-8129 पृष्ठ-5-6					
रेत	7.12 cum	3.66 cum	3.46	4237/-	14661/-
सामान्य:-वर्षा शालिका मुड़दघाट मसराह MB-7779 पृष्ठ-11-12					
रेत	5.63 cum	3.98 cum	1.65	3192/-	5266/-
सामान्य:- निर्माण सामुदायिक सिंचाई टैंक, मुंगयाडी MB-7779 पृष्ठ-52-54					
सीमेंट	40 बैग्स	35 बैग्स	5 बैग	363/-	1815/-
बजरी	3.19 cum	2.77 cum	0.42	2260/-	949/-
राशि का अधिक आहरण/भुगतान					**33053/-**

(iii). प्राप्त अनुदान व् व्यय भुगतान ₹15.20 लाख का भारी अन्तर/अधिक व्यय भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Bawat /2018-19-2 दिनांक 21/04/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत बावत द्वारा उनके पत्र क्रमांक:GP/Bawat/2018-19-02 दिनांक 05.05.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो हेतू प्राप्त तथा खर्च की गयी राशि के बारे में जो सूचना प्रदान की गई उसके अनुसार 31.03.2018 को संलग्न {**परिशिष्ट-7**} के अनुसार प्राप्त अनुदान व् व्यय भुगतान में **₹15,20,806** का भारी अन्तर/अधिक व्यय भुगतान किया गया प्रतीत होता है,

जिस बारे पंचायत सचिव अपने स्तर पर अभिलेख की जाँच करके अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे|

उक्त सूची में कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिस कारण उक्त भुगतान स्वीकृत राशि से भी अधिक तो नहीं हो गया है इस बारे अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच नहीं की जा सकी, क्योंकि अंकेक्षण के दौरान अनुदान की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए| अतः {**परिशिष्ट-7**} पर दिए गए समस्त कार्यों का अभिलेख के साथ पूर्णतः मिलान करके सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(iv). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र {कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों}** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान की अंकेक्षण सम्बन्धि जाँच नहीं की जा सकी, तथा दर्शाया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे भी पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट की जाए, साथ ही उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) मनरेगा योजना की रोकड़ बही संधारित/प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त अवधि में **(Online Financial Statements)** के अनुसार ₹**20,60,009** का ऑनलाइन भुगतान किया गया है| अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार **Online Financial Statements** के अनुसार दर्शाए गए व्यय भुगतान को ही पंचायत का प्राप्ति व् भुगतान मानकर पंचायत की मासिक आय-व्यय विवरणी तैयार कर अंकेक्षण हेतु माह का चयन किया गया है तथा तदानुसार ही पंचायत की वितीय स्थिति तैयार की गई है| अतः उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए|

इसके अतिरिक्त मनरेगा से सम्बन्धित **जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्टर रोल्स जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि** भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

वर्ष	मजदूरी	सामग्री	कुल भुगतान
2015-16	174716/-	106506/-	281222/-
2016-17	715366/-	168984/-	884350/-
2017-18	338067/-	556370/-	894437/-
कुल भुगतान	**1228149/-**	**831860/-**	**2060009/-**

13 ₹0.72 लाख **का बिना किसी प्रयोजन के आहरण करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की दिनांक 07.12,2015 को सामान्य निधि खाते से चेक संख्या:691766 द्वारा ₹50,000 तथा दिनांक 08.12.2015 को चेक संख्या: 691769 द्वारा ₹22,000 का आहरण किया गया है जिस बारे रोकड़ बही में कोई भी विवरण दर्ज नहीं पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

14 ₹1.78 लाख **की अज्ञात अनुदान की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना**:-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान के दौरान पाया गया की सामान्य निधि के बैंक खाते की पास बुक के अनुसार दिनांक 31.10.2015 को प्राप्त ₹1,57,500 तथा 11.12.2017 को प्राप्त ₹20,150 को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, अतः उक्त अनुदान/प्राप्त राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उक्त बारे फंडिंग एजेंसी से **{प्रयोजन/कार्य हेतु उक्त राशि प्राप्त हुई है**} जानकारी प्राप्त कर उसे पूर्ण विवरण के साथ रोकड़ बही में दर्ज कर उपयुक्त प्रयोजन पर ही खर्च करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

15 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i). सीमेंट की खरीद पर ₹783 का अधिक भुगतान:-

चयनित माह 03/2016 में **(वाउचर संख्या:170/4)** HPSCS, रोनहाट के बिल संख्यां 371571 दिनांक 02/03/2016 द्वारा 29 बोरी सीमेंट की खरीद ₹345प्रति बोरी के हिसाब से दर्शायी गई है जबकि उसी तिथि के दो अन्य बिल संख्या 371565 **(वाउचर संख्या:170/2)** पर 30 बोरी तथा बिल संख्या 371566 **(वाउचर संख्या:170/3)** पर 30 बोरी

की खरीद ₹318 प्रति बोरी के हिसाब से की गई है| अतः एक ही तिथि को सीमेंट की दो विभिन दरों से खरीद करके जो ₹**783 {345-318=27x29 बोरी सीमेंट**} का अधिक भुगतान किया गया है उस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(ii) पंचायत कार्यालय के लिए बर्तन की खरीद हेतु ₹540 का अधिक आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

पंचायत कार्यालय हेतु 13 thFC अनुदान { सामान्य निधि} से चेक संख्या 400870 दिनांक 20/03/2016 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 65 पर ₹16,000 का आहरण दर्शाया गया है जबकि उक्त आहरण से ₹15,460 की खरीद ही रोकड़ बही में दर्ज की गई है, बकाया बचे ₹**540** का कोई भी ब्यौरा रोकड़ बही दर्ज नहीं पाया गया| जिस बारे स्थित स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली कर कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

इसके अतिरिक्त खरीदे गए बर्तनों की स्टॉक प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(iii). विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note} पर दर्शायी गई ₹2.64 लाख की खरीद/व्यय भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट को पारित करके चयनित माह में निम्नतालिकानुसार **₹2,63,530** का व्यय भुगतान/आहरण किया गया है| अतः विक्रेता से या तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित उचित/proper Tax Invoice/Bill या भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित उचित रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में प्रत्येक खरीद उचित बिल तथा भुगतान की रसीद प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योकि **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शायी गई खरीद अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होती है|

तिथि	**बिल नं**	**विक्रेता का नाम**	**क्रय की गई सामग्री**	**राशि**
		सामान्य निधि		
28.02.16	GR-544	रन सिंह ट्रेडिंग कम्पनी	41चट्ठे पत्थर@3000/-	123000/-
20.02.16	GR-545	------do------	1081बैग रेत@130/-	140530/-
			कुल अदायगी	**263530/-**

(iv) बिल उचित बिल/वाउचर के ₹0.72 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया निम्नतालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु शटरिंग लेने हेतु बिना बिल/वाउचर को **₹72,000** का भुगतान दर्शाया गया है| जोकि अनियमित है अतः **भविष्य में आपूर्तिकर्ता से Proper Bill/Tax Invoice प्राप्त करके तथा उस पर अदायगी राशि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण दर्ज होने के उपरान्त ही व्यय भुगतान पारित करना तथा उसकी अदायगी करना सुनिश्चित किया जाए |**

तिथि	वाउचर नं	बिल नं	विक्रेता का नाम	क्रय की गई सामग्री	राशि
सामान्य निधि:-निर्माण पुल बद्रीराम निवास मस्रह खड्ड					
03/2016	180	कच्ची रसीद	मोतीराम/शंकरुराम	शटरिंग	30,000/-
सामान्य निधि:-निर्माण कुहल व् पाइपलाइन गवाये खड्ड से कपसाड़ी					
10/2016	124	कच्ची रसीद	विकास/लायकराम	शटरिंग	42000/-
				कुल अदायगी	**72000/-**

(v). TSC/SBM योजना/अनुदान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹4.78 लाख से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह में **पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC/SBM) परिशिष्ट-8** पर दर्शाए गए लाभार्थियों को **₹4,77,600** का भुगतान दर्शाया गया है, जिससे सम्बन्धित **स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा उक्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र** अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है अथवा नहीं तथा लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय का निर्माण कर लिया गया है या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

16 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

17 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** को तैयार नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है| अतः उक्त नियम के अनुसार भविष्य में कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जो की अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर|
12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये|

20 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई |

21 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)82/2018 खण्ड–1–5180–5183 दिनांक– 02.08. 2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बावत, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला जिला शिमला हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी, जिला शिमला हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046